

26.08.2020. पत्रावली पेश। वकील वादी एवं वादीगण
अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन बार
आवाज लगाई गई, बावजूद इसके
कोई उपस्थित नहीं। इससे उतीत
होगा है कि वादी एवं वकील वादी
अपने दावे-को लेकर गंभीर नहीं है।

अतः दावा अदम्य मान्य है, अदम्य
पैरवी में इसी स्तर पर खारिज

क्रिया जाता है

पत्रावली फैसला सुमा होकर
नेहर से रुम की जाकर
दाखिल दफ्तर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) सांचौर (जालौर)

